

# उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ गठन रणनीति



## स्वयं सहायता समूह गठन रणनीति



मिशन द्वारा उपलब्ध सूची से ऐसे ग्रामों का चयन करना है जहाँ शून्य, एक, दो या तीन स्वयं सहायता समूह गठित है।

सर्वप्रथम समूह गठन ड्राइव उन ग्राम में उतारा जाना है जहाँ शून्य स्वयं सहायता समूह गठित है और कम से कम 6 स्वयं सहायता समूह गठन करना है।

इस के उपरांत समूह गठन ड्राइव उन ग्राम में उतारा जाना है जहाँ एक स्वयं सहायता समूह गठित है।

इस के उपरांत समूह गठन ड्राइव उन ग्राम में उतारा जाना है जहाँ दो स्वयं सहायता समूह गठित है।

इस के उपरांत समूह गठन ड्राइव उन ग्राम में उतारा जाना है जहाँ तीन स्वयं सहायता समूह गठित है।



## स्वयं सहायता समूह गठन रणनीति




किसी भी परिस्थितियों में iCRP समूह गठन ड्राइव में 6 से कम स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं होना है अन्यथा iCRP को उक्त ड्राइव के मानदेय से बाधित कर दिया जायेगा।




ग्राम जंहा 6 समूह या उससे कम समूह गठन होने कि सम्भावना है वहाँ सोशल एक्शन उप समिति के द्वारा समूह गठन किया जायेगा एवं SECC डाटा के अनुसार ऑटोमेटिकली इन्क्लूडेड (Automatically Included) एवं डीप्रिवेशन (Deprivation) के सात मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउसहोल्ड (HH) की सूची के महिलाओं से ही समूह गठन किया जायेगा एवं SECC से समस्त हाउसहोल्ड (HH) संतृप्त होने के उपरांत ही PIP प्रक्रिया से शेष परिवार का चयन किया जायेगा।




## ग्राम संगठन गठन रणनीति


 मिशन द्वारा उपलब्ध सूची से ऐसे ग्रामों का चयन करना है जहाँ पाँच या पाँच से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित है किन्तु ग्राम संगठन का गठन नहीं हुआ है एवं ग्राम संगठन गठन ड्राइव सर्वप्रथम उपरोक्त ग्रामों में उतारा जाना है।


 मिशन द्वारा उपलब्ध सूची से ऐसे ग्रामों का चयन करना है जहाँ चार या कम स्वयं सहायता समूह गठित है किन्तु ग्राम संगठन का गठन नहीं हुआ है इन ग्रामों में सोशल एक्शन उप समिति के द्वारा एक या अधिक स्वयं सहायता समूह गठन किया जाने के उपरांत ग्राम संगठन गठन ड्राइव उपरोक्त ग्रामों में उतारा जाना है



## संकुल स्तरीय संघ गठन रणनीति

 जनपद को समस्त शेष संकुल स्तरीय संघ का गठन वित्तीय वर्ष सितम्बर 2022 तक हर हाल में पूर्ण कर लेना है।

 जनपद को उन क्लस्टर का चिन्हित करना है जहाँ पाँच या पाँच से अधिक ग्राम संगठन गठित है किन्तु संकुल स्तरीय संघ का गठन नहीं हुआ है ऐसे क्लस्टर में ग्राम संकुल स्तरीय संघ ड्राइव सर्वप्रथम उतारा जाना है।

 जनपद को उन क्लस्टर का चिन्हित करना है जहाँ चार या कम ग्राम संगठन गठित है किन्तु संकुल स्तरीय संघ का गठन नहीं हुआ है इन क्लस्टर में ग्राम संगठन ड्राइव द्वारा शेष ग्राम संगठन का गठन किया जाने के उपरांत संकुल स्तरीय संघ गठन ड्राइव उक्त क्लस्टर में उतारा जाना है।

# उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (स्वयं सहायता समूह गठन) नीति सह मार्गदर्शिका

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (स्वयं सहायता समूह गठन) नीति सह मार्गदर्शिका



जनपद द्वारा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के संख्या का वर्षवार अनुमोदन

कोई प्रावधान नहीं था।

जनपद द्वारा आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के संख्या का वर्षवार राज्य मिशन प्रबंधन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।



कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का उम्र

18 से 48 वर्ष था।

21 से 45 वर्ष तक



बुक कीपर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कि शैक्षणिक योग्यता।

कोई प्रावधान नहीं था।

बुक कीपर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन न्यूनतम कक्षा 8 तक पढ़ी हो





आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को ड्राइव हेतु सामग्री क्रय भत्ता

कोई प्रावधान नहीं था।

सामग्री क्रय भत्ता रु० 2500/-  
(ड्राइव में प्रस्थान से पूर्व आवश्यक सामग्री क्रय करेंगे एवं अगले दो वर्षों तक ड्राइव में उक्त सामग्री का उपयोग करेंगे)(दरी, कम्बल, टोर्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया, चादर क्रय हेतु)

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (स्वयं सहायता समूह गठन) नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के पास स्मार्ट फोन	कोई प्रावधान नहीं था	बुक कीपर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के पास स्मार्ट फोन होने एवं उसका इस्तेमाल करना जानना अनिवार्य है।
आन्तरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अपने स्वयं सहायता समूह से ड्राइव हेतु ऋण	कोई प्रावधान नहीं था	ड्राइव नियोजित किये जाने की दशा में आन्तरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अपने स्वयं सहायता समूह से रु० 15000/- कि धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में 6 माह तक कि अवधि के लिये प्राप्त कर सकेगी, इस धनराशि का उपयोग ड्राइव के दौरान खान-पान, इंधन आदि (परिवहन व्यय को छोड़ कर) पर किया जायेगा।
ड्राइव के दौरान लोकोस एप्लीकेशन में डाटा फीडिंग	कोई प्रावधान नहीं था।	ड्राइव के दौरान डाटा लोकोस एप्लीकेशन में आन्तरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा फीडिंग किया जायेगा



## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (स्वयं सहायता समूह गठन) नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
आन्तरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्वयं सहायता समूह गठन हेतु क्लस्टर आफ ड्राइव	कोई प्रावधान नहीं था ।	क्लस्टर ऑफ ड्राइव्स को 48 दिवस का किया जाना प्रस्तावित है ताकि ड्राइव का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके।
ड्राइव के दौरान प्रति दिवस का कार्ययोजना	कोई प्रावधान नहीं था ।	ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्ययोजना ।
ड्राइव के उपरान्त ड्राइव में किये गये व्यय का भुगतान एस0एन0ए0 के माध्यम से किया जाना	कोई प्रावधान नहीं था ।	ड्राइव के उपरान्त ड्राइव में हुए व्यय का भुगतान एस0एन0ए0 के माध्यम से किया जायेगा ।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (स्वयं सहायता समूह गठन) नीति सह मार्गदर्शिका

₹

विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
संस्थागत शुल्क	प्रत्येक सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा अपनी मानदेय का 10 प्रतिशत अपने स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क देने का प्रावधान था।	प्रत्येक सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा अपनी मानदेय का 5 प्रतिशत सिर्फ अपने संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क के रूप में दिया जायेगा।



## क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में दिनों की संरचना

दिवस	कार्य	
DAY- 1	BMM (IB-CB) द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुँच कर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना एवं समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुंचना।	क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में दिनों की संरचना
DAY -2 से DAY 16	प्रथम ड्राइव।	
DAY- 17	प्रथम ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं द्वितीय ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना।	
DAY -18 से DAY 32	द्वितीय ड्राइव।	
DAY- 33	द्वितीय ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं तृतीय ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना।	
DAY -34 से DAY 48	तृतीय ड्राइव पूर्ण डी-ब्रीफिंग एवं सांय काल में प्रस्थान।	



## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्ययोजना ।

दिवस	सामान्य कार्य
प्रथम दिवस	<p>आन्तरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल, BMM (IB-CB) द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुँच कर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना ।</p> <p>BMM (IB-CB) एवं IPRP के साथ बैठकर क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में किये जाने वाले कार्यों का कार्ययोजना बनाना ।</p> <p>समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुँचना ।</p> <p>मिशन से ड्राइव के ग्रामों की SECC डाटा के अनुसार ऑटोमेटिकली इन्क्लूडेड (Automatically Included) एवं डीप्रिवेशन (Deprivation) के सात मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउसहोल्ड (HH) की सूची iCRP दल को ड्राइव से पूर्व उपलब्ध किया जायेगा ।</p> <p>मिशन से ड्राइव के ग्रामों में निष्क्रिय समूह की सूची iCRP दल को ड्राइव से पूर्व उपलब्ध किया जायेगा ।</p> <p>मिशन से ड्राइव के ग्रामों में गठित समूह सदस्य की सूची जिनका आधार कार्ड DAY-NRLM MIS में फीड नहीं है iCRP दल को ड्राइव से पूर्व उपलब्ध किया जायेगा ।</p>



## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्ययोजना ।

दिवस	सामान्य कार्य
द्वितीय से चतुर्थ दिवस	<p>ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों ( जैसे ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्त्री, ऐ०एन०एम पूर्व प्रधान, सचिव आदि ) से चर्चा कर उन्हें अपने आने का उद्देश्य बताना ।</p> <p>मिशन से प्राप्त सूची के अनुसार पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक करेंगी एवं उनका बुक्स ऑफ़ रिकॉर्ड अपडेट करना ।</p> <p>मिशन से प्राप्त SECC डाटा के अनुसार ऑटोमेटिकली इन्क्लूडेड (Automatically Included) एवं डीप्रिवेशन (Deprivation) के सात मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउसहोल्ड (HH) की सूची में से महिलाओं को चिन्हित करेंगी जो किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है ।</p> <p>ग्राम का SECC डाटा संतुष्ट होने के उपरांत पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ पुअर (PIP) पद्धति से ग्राम के अति-निर्धन एवं निर्धन हाउसहोल्ड (जो SECC सूची में शामिल नहीं है) की सूची तैयार करना एवं उनकी आधारभूत जानकारी एकत्रित करेंगी एवं सम्बंधित सूचना मिशन से निर्धारित प्रारूप में भरना ।</p>



## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्ययोजना ।

दिवस	सामान्य कार्य
	<b>पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह हेतु कार्य</b>
पंचम दिवस से पंद्रहवां दिवस	<p>उन सदस्य का चिन्हांकन करना जिनकी मृत्यु हो गई है या वे स्वयं सहायता समूह छोड़ चुकीं हैं या समूह में उनकी सदस्यता निष्क्रिय हो गई है, उनके स्थान पर नये सदस्यों को जोड़ना और डाटा लोकोस एप्लीकेशन में फीड करना ।</p> <p>यदि किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य का आधार कार्ड DAY-NRLM MIS में फीड नहीं है तो उनका आधार कार्ड का डाटा लोकोस एप्लीकेशन में फीड करना ।</p> <p>मिशन से प्राप्त निष्क्रिय समूह की सूची के अनुसार समस्त ऐसे स्वयं सहायता समूह को चिन्हित कर निष्क्रियता का कारण दर्ज करना और उन्हें सक्रिय करने का प्रयास BMM (IB-CB) के सहयोग से करना ।</p> <p>सक्रिय किये गये स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मिशन के नियमानुसार फ्लिप चार्ट्स पर प्रशिक्षित करना एवं सक्रिय किये गये स्वयं सहायता समूहों में खाता लेखक का चयन करने में मदद करना ।</p> <p>उपरोक्त समस्त कार्यों को स्वयं सहायता समूह के बुक्स ऑफ़ रिकार्ड्स में दर्ज करना ।</p>



## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्ययोजना

दिवस	सामान्य कार्य
	<b>नव गठित स्वयं सहायता समूह हेतु कार्य</b>
पंचम दिवस से पंद्रहवां दिवस	<p>चयनित टोला / मजरे / क्षेत्र में बैठक आयोजित कर न्यूनतम 6 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करना एवं लोकोस एप्लीकेशन में उनका डाटा फीड करना ।</p> <p>मिशन के नियमानुसार फ्लिप चार्ट / मॉडयूल पर प्रशिक्षित करना ।</p> <p>समूह के नियमों का निर्माण एवं समूह अभिलेख लेखन में सहयोग करना ।</p> <p>खाता लेखक की पहचान करने एवं उनके भूमिका एवं कार्य के बारे में प्रशिक्षित करना ।</p> <p>कम-से-कम एक प्रगतिशील महिला (एक्टिव वूमन) का चयन करने में मदद करना</p> <p>बैंक में खाता खुलवाने हेतु बैंक खाता खुलवाने का KYC भर कर बैंक सखी एवं BMM (IB-CB) को देना ।</p>



## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्ययोजना ।

दिवस	सामान्य कार्य
सोलहवां दिवस	प्रत्येक ड्राइव के उपरांत पुनर्गठित स्वयं सहायता समूहों की जानकारी एवं ड्राइव के दौरान नव गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके दौरान किये गये कार्य की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सम्बंधित BMM (IB-CB) को उपलब्ध करना ।
सत्रहवां दिवस	नये ग्राम में प्रस्थान करेंगी एवं नये ग्राम में ड्राइव सम्बंधित समस्त तैयारियाँ पूर्ण करेंगी / क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के समापन में अंतिम दिवस ( 48वां दिवस में) आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन पर्सन दल वापस अपने ग्राम प्रस्थान करना ।



## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया

आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मानदेय का भुगतान सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ के द्वारा किया जायेगा।

संकुल स्तरीय संघ अपने आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा संचालित क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के भुगतान हेतु ड्राइव का प्रतिवेदन एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी एवं आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि की माँग सम्बन्धित जिला मिशन प्रबन्धक इकाई से करेंगी।

जिला मिशन प्रबंधन इकाई अपने स्तर से संकुल स्तरीय संघ द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर मानदेय के भुगतान हेतु माँगी गई धनराशि के औचित्य एवं वास्तविक रूप से कार्य के किये जाने के संबंध में तथ्यात्मक आधार पर संतुष्टि के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SMMU) से क्रेडिट लिमिट निर्गत करने की माँग करेंगे। यह माँग जिला मिशन प्रबन्धन इकाई के अध्यक्ष (DC-NRLM) द्वारा की जायेगी।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया

उक्त प्रक्रिया द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष सम्बन्धित संकुल स्तरीय संघ के बैंक खाते में (DC-NRLM) के द्वारा धनराशि का हस्तान्तरण द्वारा किया जायेगा एवं इस की लिखित सूचना सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ को देंगे एवं सुनिश्चित करेंगे की लिखित सूचना के आधार पर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की मानदेय उनके बैंक खाता में हस्तांतरित कर दिया जाये।

### सामग्री क्रय भत्ता

SMMU द्वारा क्रेडिट लिमिट जारी होने के बाद (DC NRLM) के द्वारा सामग्री क्रय भत्ता का हस्तांतरण सीधे सम्बंधित आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के स्वयं सहायता समूह के बैंक बचत खाते में किया जायेगा एवं इस की लिखित सूचना सम्बंधित स्वयं सहायता समूह को देंगे एवं सुनिश्चित करेंगे की लिखित सूचना के आधार पर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की सामग्री क्रय भत्ता उनके बैंक खाता में हस्तांतरित कर दिया जाये।

उक्त धनराशि के आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को ससमय भुगतान हेतु उपायुक्त स्वतः रोजगार (DC-NRLM) एवं जिला मिशन प्रबन्धन इकाई सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।


# उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) नीति सह मार्गदर्शिका

# सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) नीति सह मार्गदर्शिका

	विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
	जनपद द्वारा सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के संख्या का वर्षवार अनुमोदन ।	कोई प्रावधान नहीं था ।	जनपद द्वारा सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के संख्या का वर्षवार राज्य मिशन प्रबंधन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।
	सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) का उम्र ।	18 से 48 वर्ष था ।	21 से 45 वर्ष तक
	बुक कीपर सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) कि शैक्षणिक योग्यता ।	कोई प्रावधान नहीं था ।	बुक कीपर सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) न्यूनतम कक्षा 8 तक पढ़ी हो ।
	सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) को ड्राइव हेतु सामग्री क्रय भत्ता ।	कोई प्रावधान नहीं था ।	सामग्री क्रय भत्ता रु० 2500/- (ड्राइव में प्रस्थान से पूर्व आवश्यक सामग्री क्रय करेंगे एवं अगले दो वर्षों तक ड्राइव में उक्त सामग्री का उपयोग करेंगे)(दरी, कम्बल, टोर्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया, चादर क्रय हेतु )

# सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के पास स्मार्ट फोन	कोई प्रावधान नहीं था	बुक कीपर सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के पास स्मार्ट फोन होने एवं उसका इस्तेमाल करना जानना अनिवार्य है।
सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) अपने स्वयं सहायता समूह से ड्राइव हेतु ऋण	कोई प्रावधान नहीं था	ड्राइव नियोजित किये जाने की दशा में सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) अपने स्वयं सहायता समूह से रु० 15000/- कि धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में 6 माह तक कि अवधि के लिये प्राप्त कर सकेगी, इस धनराशि का उपयोग ड्राइव के दौरान खान-पान, इंधन आदि (परिवहन व्यय को छोड़ कर) पर किया जायेगा।
ड्राइव के दौरान लोकोस एप्लीकेशन में डाटा फीडिंग	कोई प्रावधान नहीं था।	ड्राइव के दौरान डाटा लोकोस एप्लीकेशन में सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) द्वारा फीडिंग किया जायेगा

# सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) नीति सह मार्गदर्शिका

विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
 सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) स्वयं सहायता समूह गठन हेतु क्लस्टर आफ ड्राइव	कोई प्रावधान नहीं था।	क्लस्टर ऑफ ड्राइव्स को 44 दिवस का किया जाना प्रस्तावित है ताकि ड्राइव का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके।
 ड्राइव के दौरान प्रति दिवस का कार्ययोजना	कोई प्रावधान नहीं था।	ड्राइव के दौरान प्रति दिवस सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के कार्ययोजना।
 ड्राइव के उपरान्त ड्राइव में किये गये व्यय का भुगतान एस0एन0ए0 के माध्यम से किया जाना	कोई प्रावधान नहीं था।	ड्राइव के उपरान्त ड्राइव में हुए व्यय का भुगतान एस0एन0ए0 के माध्यम से किया जायेगा।

# सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
संस्थागत शुल्क	प्रत्येक सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) द्वारा अपनी मानदेय का 10 प्रतिशत अपने स्वयं सहायत समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क देने का प्रावधान था।	प्रत्येक सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) द्वारा अपनी मानदेय का 5 प्रतिशत सिर्फ अपने संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क के रूप में दिया जायेगा।



## क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में दिनों की संरचना

दिवस	कार्य	
DAY- 1	BMM (IB-CB) द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुँच कर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना एवं समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुंचना ।	क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में दिनों की संरचना
DAY -2 से DAY 11	प्रथम ड्राइव ।	
DAY- 12	प्रथम ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं द्वितीय ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना ।	
DAY -13 से DAY 22	द्वितीय ड्राइव ।	
DAY- 23	द्वितीय ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं तृतीय ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना ।	
DAY -24 से DAY 33	तृतीय ड्राइव ।	
DAY- 34	तृतीय ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं चौथी ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना ।	
DAY -35 से DAY 44	चौथी ड्राइव पूर्ण डी-ब्रीफिंग एवं सांय काल में प्रस्थान	





## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के कार्ययोजना ।

दिवस	कार्य
DAY-1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BMM (IB-CB) द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुँच कर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना ।</li><li>2. BMM (IB-CB), IPRP एवं समूह के खाता लेखक के साथ बैठकर क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में किये जाने वाले कार्यों का कार्ययोजना बनाना ।</li><li>3. समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुँचना ।</li></ol>
DAY 2 से DAY 4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ग्राम संगठन में जुड़ने योग्य कम-से-कम 5 स्वयं सहायता समूहों (मिशन के प्रशिक्षण मैनुअल के अनुसार) के सदस्यों को स्वयं सहायता समूह के मॉड्यूल / फ्लिप चार्ट पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान करेंगी एवं उक्त स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ग्राम संगठन की अवधारणा पर प्रशिक्षण प्रदान करना ।</li></ol>



## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के कार्ययोजना ।

दिवस	कार्य
DAY- 5 से DAY 11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. आम सभा का आयोजन करना ।</li><li>2. कार्यकारिणी समिति के चयन में सहयोग करेंगी एवं उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों पर उन्हें प्रशिक्षण देना ।</li><li>3. पदाधिकारियों का चयन में सहयोग करेंगी एवं उन्हें के कार्य एवं जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना ।</li><li>4. उप-समितियों का गठन करवाने में सहयोग करेंगी एवं उप-समितियों को उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना ।</li><li>5. बैंक बचत खाता खोलने हेतु KYC दस्तावेज तैयार करेंगी एवं सम्बंधित बैंक सखी एवं BMM (IBCB) को देना ।</li><li>6. कम-से-कम एक ग्राम संगठन का गठन करना ।</li><li>7. लोकोस एप्लीकेशन में नव गठित ग्राम संगठन का डाटा अपलोड करना ।</li></ol>
DAY-12	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रथम ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं द्वितीय ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना ।</li></ol>

# उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) नीति सह मार्गदर्शिका


# सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
जनपद द्वारा सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) के संख्या का वर्षवार अनुमोदन	कोई प्रावधान नहीं था ।	जनपद द्वारा सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) के संख्या का वर्षवार राज्य मिशन प्रबंधन इकाई से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।
सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) का उम्र	18 से 48 वर्ष था ।	21 से 45 वर्ष तक
बुक कीपर सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)कि शैक्षणिक योग्यता ।	कोई प्रावधान नहीं था ।	बुक कीपर सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)न्यूनतम कक्षा 8 तक पढ़ी हो ।
सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)को ड्राइव हेतु सामग्री क्रय भत्ता	कोई प्रावधान नहीं था ।	सामग्री क्रय भत्ता रु० 2500/- (ड्राइव में प्रस्थान से पूर्व आवश्यक सामग्री क्रय करेंगे एवं अगले दो वर्षों तक ड्राइव में उक्त सामग्री का उपयोग करेंगे)(दरी, कम्बल, टोर्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया, चादर क्रय हेतु )



# सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) नीति सह मार्गदर्शिका




सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)के पास स्मार्ट फोन

वर्तमान नीति के अनुसार

कोई प्रावधान नहीं था

संशोधित नीति कि अनुसार

बुक कीपर सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)के पास स्मार्ट फोन होने एवं उसका इस्तेमाल करना जानना अनिवार्य है।



सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)अपने स्वयं सहायता समूह से ड्राइव हेतु ऋण

कोई प्रावधान नहीं था

ड्राइव नियोजित किये जाने की दशा में सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)अपने स्वयं सहायता समूह से रु० 15000/- कि धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में 6 माह तक कि अवधि के लिये प्राप्त कर सकेगी, इस धनराशि का उपयोग ड्राइव के दौरान खान-पान, इंधन आदि (परिवहन व्यय को छोड़ कर) पर किया जायेगा।



ड्राइव के दौरान लोकोस एप्लीकेशन में डाटा फीडिंग

कोई प्रावधान नहीं था।

ड्राइव के दौरान डाटा लोकोस एप्लीकेशन में सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)द्वारा फीडिंग किया जायेगा

# सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) नीति सह मार्गदर्शिका

विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
 सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) स्वयं सहायता समूह गठन हेतु क्लस्टर आफ ड्राइव	कोई प्रावधान नहीं था।	क्लस्टर ऑफ ड्राइव्स को 44 दिवस का किया जाना प्रस्तावित है ताकि ड्राइव का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके।
 ड्राइव के दौरान प्रति दिवस का कार्ययोजना	कोई प्रावधान नहीं था।	ड्राइव के दौरान प्रति दिवस सीनियर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (ग्राम संगठन गठन) के कार्ययोजना।
 ड्राइव के उपरान्त ड्राइव में किये गये व्यय का भुगतान एस0एन0ए0 के माध्यम से किया जाना	कोई प्रावधान नहीं था।	ड्राइव के उपरान्त ड्राइव में हुए व्यय का भुगतान एस0एन0ए0 के माध्यम से किया जायेगा।

## सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
संस्थागत शुल्क	प्रत्येक सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)द्वारा अपनी मानदेय का 10 प्रतिशत अपने स्वयं सहायत समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क देने का प्रावधान था।	प्रत्येक सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन)द्वारा अपनी मानदेय का 5 प्रतिशत सिर्फ अपने संकुल स्तरीय संघ को संस्थागत शुल्क के रूप में दिया जायेगा।



## क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में दिनों की संरचना

दिवस	कार्य	
DAY- 1	BMM (IB-CB) द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुँच कर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना एवं समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुंचना।	क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में दिनों की संरचना
DAY -2 से DAY 11	प्रथम ड्राइव।	
DAY- 12	प्रथम ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं द्वितीय ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना।	
DAY -13 से DAY 22	द्वितीय ड्राइव।	
DAY- 23	द्वितीय ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं तृतीय ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना।	
DAY -24 से DAY 33	तृतीय ड्राइव।	
DAY- 34	तृतीय ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं चौथी ड्राइव के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना।	
DAY -35 से DAY 44	चौथी ड्राइव पूर्ण, डी-ब्रीफिंग एवं सांय काल में प्रस्थान।	





## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) की कार्ययोजना ।

दिवस	कार्य
DAY-1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. BMM (IB-CB) द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुँच कर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना ।</li><li>2. BMM (IB-CB), IPRP एवं ग्राम संगठन के खाता लेखक के साथ बैठकर क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में किये जाने वाले कार्यों का कार्ययोजना बनाना ।</li><li>3. समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर किस एक क्लस्टर के प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुँचना ।</li></ol>
DAY 2 से DAY 4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. संकुल स्तरीय संघ में जुड़ने योग्य कम-से-कम 5 ग्राम संगठनों ( मिशन के प्रशिक्षण मैनुअल के अनुसार) के सदस्यों को ग्राम संगठन के मॉडयूल / फ्लिप चार्ट पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान करेंगी एवं उक्त ग्राम संगठनों के सदस्यों को संकुल स्तरीय संघ की अवधारणा पर प्रशिक्षण प्रदान करना ।</li></ol>



## ड्राइव के दौरान प्रति दिवस सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) की कार्ययोजना ।

दिवस	कार्य
DAY- 5 से DAY 11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. आम सभा का आयोजन करना ।</li><li>2. कार्यकारिणी समिति के चयन में सहयोग करेंगी एवं उनके कार्य एवं जिम्मेदारियों पर उन्हें प्रशिक्षण देना ।</li><li>3. पदाधिकारियों का चयन में सहयोग करेंगी एवं उन्हें के कार्य एवं जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना ।</li><li>4. उप-समितियों का गठन करवाने में सहयोग करेंगी एवं उप-समितियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के अवगत करवाते हुये उन्हें प्रशिक्षित देना ।</li><li>5. बैंक बचत खाता खोलने हेतु आवश्यक KYC दस्तावेज तैयार करेंगी और सम्बंधित बैंक सखी एवं BMM ( IBCB) को देना ।</li><li>6. कम-से-कम एक संकुल स्तरीय संघ का गठन करना ।</li><li>7. लोकोस एप्लीकेशन में नव गठित संकुल स्तरीय संघ का डाटा अपलोड करना ।</li></ol>
DAY-12	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रथम ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं द्वितीय ड्राइव के लिये दुसरे क्लस्टर के ग्राम में पहुँच कर सारी तैयारियाँ पूर्ण करना ।</li></ol>

# उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका

## समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
जनपद द्वारा समूह सखी के संख्या का वर्षवार अनुमोदन	कोई प्रावधान नहीं था ।	जनपद द्वारा अपने समूह सखी के चयन की संख्या का वर्षवार SMMU से अनुमोदन प्राप्त किया किया जायेगा ।
सीनियर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (संकुल स्तरीय संघ गठन) का उम्र	18 से 48 वर्ष था ।	21 से 45 वर्ष तक
समूह सखी कि शैक्षणिक योग्यता ।	कोई प्रावधान नहीं था ।	न्यूनतम कक्षा 8 तक पढ़ी हो ।
समूह सखी के चयन के मानक	समूह सखी स्वयं सहायता समूह के सदस्य या स्वयं सहायता समूह के बाहर से भी हो सकती हैं।	समूह सखी किसी घटक स्वयं सहायता समूह में क्रेडिट लिंकेज प्राप्त किसी एक स्वयं सहायता समूह की खाता लेखक ही होगी।



## समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका

विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
 समूह सखी के पास स्मार्ट फोन	कोई प्रावधान नहीं था	समूह सखी के पास स्मार्ट फोन होने एवं उसका इस्तेमाल करना जानना अनिवार्य है ।
 परिवीक्षा अवधि	कोई प्रावधान नहीं था	3 माह की परिवीक्षा अवधि के दौरान समूह सखी को मानदेय के रूप में रू० 1000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा ।
 समूह सखी का मानदेय	समूह सखी को प्रतिमाह विभिन्न स्लैब में रू० 800/- से रू० 1200/- दिये जाने का प्रावधान था	समूह सखी को न्यूनतम मानकों (ग्राम संगठन के घटक समस्त स्वयं सहायता समूहों की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक करवाना एवं प्रत्येक माह उनके बुक्स आफ रिकार्ड को कम से कम एक बार अपडेट करवाने) प्राप्त करने पर ही उन्हें प्रतिमाह रू. 2000/- दिया जायेगा ।

# समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका



विषय	वर्तमान नीति के अनुसार	संशोधित नीति कि अनुसार
समूह सखी को इन्सेन्टिव समूह से ऋण दिलवाने एवं उक्त ऋण की वापसी पर	इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।	ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह के 10 सदस्यों को कम-से-कम रु० 5000/- का ऋण समूह से दिलवाने पर एवं उक्त ऋण की वापसी का समय कम-से-कम 6 माह होने पर पर रु० 500/-
समूह सखी को इन्सेन्टिव स्वयं सहायता समूहों में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर	इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।	ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले समस्त स्वयं सहायता समूहों में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर रु० 1000/- प्रति / माह (जिस माह में वापसी प्रतिशत 75% हो)
समूह सखी को इन्सेन्टिव स्वयं सहायता समूहों में से किसी भी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर	इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है।	ग्राम संगठन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों में से किसी भी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर रु० 1000/- प्रति समूह ।

## समूह सखी के कार्य एवं दायित्व

किसी स्वयं सहायता समूह सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, या सदस्य के स्वयं सहायता समूह में निष्क्रिय होने पर, या किसी अन्य कारणों से सदस्य द्वारा स्वयं सहायता समूह से निकलने पर SECC सूची से ऑटोमेटिकली इन्क्लूडेड (Automatically Included) एवं डीप्रिवेशन (Deprivation) के सात मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउसहोल्ड, से नये सदस्य को जोड़ना एवं लोकोस एप्लीकेशन में भी उक्त डाटा को अपडेट करना ।

स्वयं सहायता समूह के निष्क्रिय होने की स्थिति में सम्बंधित BMM (IB-CB) को सूचित करना और उक्त स्वयं सहायता समूह को BMM (IB-CB) के सहयोग से सक्रिय करना ।

अपने ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में छूटे गये अति-निर्धन एवं निर्धन परिवारों को ग्राम संगठन सोशल एक्शन उप समिति की मदद से पूर्व गठित स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना या उनके साथ नये स्वयं सहायता समूह का गठन करना ।

## समूह सखी के कार्य एवं दायित्व

बैंक सखी के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का बैंक बचत खाता खुलवाना ।

BMM (IB-CB) एवं IPRP को योग्य स्वयं सहायता समूह को स्टार्टअप फण्ड उपलब्ध करवाने में सहयोग करना ।

BMM (IB-CB) एवं IPRP को योग्य स्वयं सहायता समूह को RF एवं CIF उपलब्ध करवाने में सहयोग करना ।

बैंक सखी एवं FL सी.आर.पी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को बैंक क्रेडिट उपलब्ध करवाने में सहयोग करना ।



## समूह सखी के कार्य एवं दायित्व

बैंक सखी एवं FL सी.आर.पी के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बीमा स्कीम से जुडवाने में सहयोग करना ।

ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले ग्रामो में स्वयं सहायता समूह गठन ड्राइव में सक्रिय सहयोग करना ।

लोकोस (**LokOS**) एप्लीकेशन पर स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन का प्रोफाइल एवं ट्रान्जेक्शन नियमित अपडेट करना ।

## समूह सखी को मानदेय, इंटेसिव एवं भत्ते प्रदान करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जिला मिशन प्रबंधन इकाई को समूह सखी के मानदेय, इन्सेंटिव एवं भत्ते के भुगतान हेतु (SNA) के माध्यम से किया जायेगा।

ग्राम संगठन / अनौपचारिक समिति अपने समूह सखी के प्रति माह के कार्यों के सापेक्ष मानदेय, इन्सेंटिव एवं भत्ते के भुगतान हेतु जिला मिशन प्रबंधन इकाई, को सूचित करेंगे एवं मानदेय, इन्सेंटिव एवं भत्ते के भुगतान हेतु धनराशि की माँग सम्बन्धित जिला मिशन प्रबन्धक इकाई से करेंगे।

## समूह सखी को मानदेय, इंटेसिव एवं भत्ते प्रदान करने की प्रक्रिया

जिला मिशन प्रबंधन ईकाई अपने स्तर से समस्त दस्तावेजों के आधार पर ग्राम संगठन / अनौपचारिक समिति द्वारा माँगी गई धनराशि के औचित्य एवं वास्तविक रूप से कार्य के किये जाने के संबंध में, तथ्यात्मक आधार पर संतुष्टि के उपरान्त, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SMMU) से क्रेडिट लिमिट निर्गत करने की माँग करेंगे। यह माँग जिला मिशन प्रबन्धन इकाई के अध्यक्ष (DC-NRLM) द्वारा की जायेगी।

उक्त प्रक्रिया द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष सम्बन्धित ग्राम संगठन / नोडल स्वयं सहायता समूह के बैंक बचत खाते में धनराशि का हस्तान्तरण (DC-NRLM) द्वारा किया जायेगा।

समूह सखी को ससमय भुगतान हेतु उपायुक्त स्वतः रोजगार (DC-NRLM) एवं जिला मिशन प्रबन्धन इकाई सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

आतंरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका

जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप जनपद में गठित होने वाले स्वयं सहायता समूहों एवं निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने हेतु आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की ड्राइव की संख्या का निर्धारण करेंगे ।

जनपदों द्वारा निर्धारित आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की ड्राइव के संख्या को अनिवार्यरूपेण मिशन के वार्षिक कार्ययोजना का अंग बनवाते हुये उस पर विधिवत मिशन मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

यदि किस ग्राम में पूर्व में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव संचालित हो चुकी है किन्तु वर्तमान समय में उस ग्राम में कम-से-कम 6 नये स्वयं सहायता समूह गठन किये जाने की संभावना हो तो भी वहां आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव का संचालन किया जा सकता है ।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका (ड्राइव से पूर्व आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल को उपलब्ध किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज)

समस्त ग्राम जहाँ ड्राइव प्रस्तावित है कि, SECC डाटा के अनुसार ऑटोमेटिकली इन्क्लूडेड (Automatically Included) एवं डीप्रिवेशन (Deprivation) के सात मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउसहोल्ड की हिंदी में सूची।

समस्त ग्राम जहाँ ड्राइव प्रस्तावित है कि DAY-NRLM MIS के अनुसार पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह जिनका आधार MIS में फीड नहीं है उनकी सदस्यों की हिंदी में सूची।

समस्त ग्राम जहाँ ड्राइव प्रस्तावित है कि DAY-NRLM MIS के अनुसार पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह जो वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके हैं उनकी हिंदी में सूची।

मिशन द्वारा ड्राइव संचालन हेतु मिशन के नियमानुसार उपलब्ध किये जाने वाले आवश्यक स्टेशनरी, रजिस्टर, फ्लिप चार्ट आदि।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका (कार्य एवं दायित्व)

ड्राइव के पूर्व सोर्स जनपद के द्वारा अपने जनपद के आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल को रिसीवर जनपद तक भेजने का समस्त व्यय (वाहन एवं यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था) का वहन किया जायेगा।

ड्राइव के समापन पर रिसीवर जनपद को सोर्स जनपद के आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को वापस सोर्स जनपद तक भेजने का समस्त व्यय (वाहन एवं यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था) का वहन किया जायेगा।

नोडल संकुल स्तरीय संघ (विद्युत बिल संधारण के लिये नामित संकुल स्तरीय संघ) वस्तुओं एवं आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एवं उनके वस्तुओं, को ड्राइव समाप्ति के उपरांत एक ग्राम से दुसरे ग्राम तक पहुँचाने एवं ड्राइव पूर्ण होने के उपरांत वापस लेने की व्यवस्था करेंगे जिसके लिये नोडल संकुल स्तरीय संघ को मिशन द्वारा रु०. 100/- (सौ रूपए) प्रति किलोमीटर के दर से प्रथम 10 किलोमीटर तक का भुगतान किया जायेगा एवं उसके बाद रु० 150/- (एक सौ पचास रूपए) प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका (कार्य एवं दायित्व)

DMMU के पास वर्तमान में ड्राइव से सम्बंधित कोई भी सामग्री जो पूर्व में ड्राइव संचालन के लिये क्रय की गई एवं उस सामग्री का प्रयोग भविष्य के ड्राइव में किया जा सकता है तो DMMU उक्त सामग्री को जनपद के नामित नोडल संकुल स्तरीय संघ को लिखित में हस्तांतरित करेगा।

BMMU द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा की ड्राइव में जाने वाले समस्त आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का बीमा (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना) हो चुका है। बीमा के बिना किसी भी आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को ड्राइव में नहीं भेजा जायेगा।

BMMU यह सुनिश्चित करेगा की ड्राइव में जाने वाली कोई भी आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के साथ छोटे बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य न हो, एवं गर्भवती तथा अस्वस्थ आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को किसी भी ड्राइव में नहीं भेजा जायेगा।



## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका (कार्य एवं दायित्व)

समस्त आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का पहचान पत्र अनिवार्य है ।

आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में जाने पूर्व सहमति पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है ।

सम्बंधित BMM (IB-CB) अपने आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का वर्षवार कार्य का ब्यौरा रखेंगे ।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका (भुगतान प्रक्रिया )

नोडल संकुल स्तरीय संघ द्वारा आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के समापन के उपरान्त क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव में उनके द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष भुगतान का डिमांड (मिशन द्वारा उपलब्ध प्रपत्र में आवश्यक बिल /दस्तावेजों के साथ ) जिला मिशन प्रबंधन ईकाई, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से किया करेंगे ।

जिला मिशन प्रबंधन ईकाई अपने स्तर से समस्त दस्तावेजों / एप्लीकेशन आधारित दस्तावेज़ के आधार पर नोडल संकुल स्तरीय संघ द्वारा माँगी धनराशि के औचित्य एवं वास्तविक रूप से कार्य के किये जाने के संबंध में तथ्यात्मक आधार पर संतुष्टि के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SMMU) से क्रेडिट लिमिट निर्गत करने की माँग करेंगे । यह माँग जिला मिशन प्रबन्धन इकाई के अध्यक्ष (DC-NRLM) द्वारा किया जायेगा ।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका (भुगतान प्रक्रिया )

उक्त मांग के अनुसार निर्गत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष सम्बन्धित नोडल संकुल स्तरीय संघ के बैंक खाते में धनराशि का हस्तान्तरण उपायुक्त (स्वतः रोजगार ) (DC-NRLM) द्वारा किया जायेगा और सम्बन्धित नोडल संकुल स्तरीय संघ को सूचित किया जायेगा ।

क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के दौरान जनपद द्वारा किये गये व्यय के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि के सापेक्ष क्रेडिट लिमिट की माँग उपायुक्त (स्वतः रोजगार) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SMMU) से किया जायेगा ।

क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के दौरान किये जाने वाले समस्त व्यय (DAY –NRLM) योजना हेतु निर्धारित व्यय मनकों (COST NORMS ) के अनुरूप वित्तीय नियमों का पालन करते हुये किया जायेगा । इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित उपायुक्त (स्वतः रोजगार ) (DC-NRLM) की होगी ।

## आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव नीति सह मार्गदर्शिका (ब्रीफिंग एवं डीब्रीफिंग कार्यशाला )

आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल ड्राइव ब्रीफिंग कार्यशाला अनिवार्य रूप विकासखंड स्तर पर प्रत्येक क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के प्रथम दिवस में BMM (IB-CB) द्वारा आयोजित किया जायेगा।

इस कार्यशाला में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल को क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के तहत जिन ग्रामों में ड्राइव का संचालन प्रस्तावित है उस की जानकारी दिया जायेगा एवं ड्राइव से सम्बंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध किया जायेगा।

इस कार्यशाला में अनिवार्य रूप से बैंक सखी (सम्बंधित ग्राम से जहाँ ड्राइव प्रस्तावित है), IPRP, BMM (IB-CB) एवं (MF-FI) शामिल होंगे।

इस कार्यशाला के उपरान्त आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल को क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के तहत प्रथम ग्राम जहाँ ड्राइव प्रस्तावित है द्वारा पहुँचा दिया जायेगा।

क्लस्टर ऑफ़ ड्राइव के अंतिम दिवस में समस्त आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स की उपस्थिति में डीब्रीफिंग कार्यशाला का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इस कार्यशाला में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल ड्राइव के दौरान किये गये कार्यों को बतायेगी एवं मिशन से प्राप्त समस्त प्रपत्र को भर कर वापस करेगी।

## उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ स्टार्टअप,

## स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ स्टार्टअप

समस्त स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ जिनका MIS हो चुका है उनको स्टार्टअप फण्ड उपलब्ध किया जाना है।

जनपद समस्त बैकलाग स्टार्टअप (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ) का चिन्हांकन कर मिशन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में स्टार्टअप प्रदान करेंगे।

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ का अनिवार्य रूप से बैंक बचत खाता खुल चुका हो एवं उक्त ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ सक्रिय / क्रियाशील हो।

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ जिन्हें स्टार्टअप फण्ड प्रदान किया जाना है उनकी सूची में किसी भी प्रकार का दोहराव (Duplicacy) न हो।

## स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ स्टार्टअप

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिसूचित हो।

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ को प्रथम बार स्टार्टअप की निधि प्रदान की जा रही हो।

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ को को पूर्व में स्टार्टअप की निधि से किसी प्रकार की सामग्री या आंशिक धनराशि प्रदान नहीं कि गई हो।

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ को को पूर्व में स्टार्टअप की निधि से किसी प्रकार की सामग्री या आंशिक धनराशि प्रदान कि गई हो तो उनका MIS कराना।

## एंटरप्राइज का चयन

प्रत्येक जनपद में स्वयं सहायता समूहों के प्रयोग में आनेवाली विभिन्न सामग्रियों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन एवं विक्रय हेतु एंटरप्राइज गठन करने के लिए प्रेरित करना

स्वयं सहायता समूहों , ग्राम संगठनों ,सी०एल०एफ० , पी०जी० आदि को उनके प्रयोग की सामग्री इन एंटरप्राइजेज से सीधे नियमानुसार क्रय करने हेतु प्रेरित करना ।

जनपद आवश्यकतानुसार ब्लॉक स्तर पर एंटरप्राइज का चयन करेंगे ।



थैंक्स